न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

(7)

26-03-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—9—680/09 में आवेदक **श्री रणजीत कुमार,** पिता—श्री कृष्णनंदन प्रसाद सिंह, सा0—राजीव नगर, रोड नं0—9 सी0, हाऊस नं0—01, पो0—केशरीनगर, थाना—राजीवनगर, जिला—पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर0 रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे उग्रवादी क्षेत्र में ठीकेदारी का कार्य करते हैं, जिसके कारण हमेशा डर/भय बना रहता है। आवेदक द्वारा कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए राजीव नगर थाना कांड सं0—178/10 तथा मुजफ्फरपुर में भी थाने में मामला दर्ज किये जाने की बात बताई गई। अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति चाहते हैं।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक—175/गो0, दिनांक—29.01.2011 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, विधि—व्यवस्था, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, राजीव नगर के द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, राजीव नगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक उग्रवादी क्षेत्र में ठीकेदारी का कार्य करते हैं। इनके द्वारा राजीव नगर थाना कांड सं0—178/10 दर्ज है। थानाध्यक्ष, राजीव नगर द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक श्री रणजीत कुमार को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/आशंका है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री रणजीत कुमार,** पिता—श्री कृष्णनंदन प्रसाद सिंह, सा0—राजीव नगर, रोड नं0—9 सी0, हाऊस नं0—01, पो0—केशरीनगर, थाना—राजीव

नगर, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

26/3/23

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

26/03/23

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।